कार्यालयः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या – 01/यो0ब0 (10) 2014 – 02

राँची–2, दिनांक–01/1/19

वन विभागीय अधिसूचना संख्या सं0सं0–4/यो0 बजट–42/2010–2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया है जिसकी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2018 को बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एक जेएफएमसी के लिए माइक्रो प्लान तैयारी हेतु 1(एक) दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (अधिकतम 30 प्रतिभागी) के लिए अनुसूचित दर की अनुशंसा की गई है।

<u>क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दरों की अनुसूची</u>

क्र0 सं0	कार्य/गतिविधि	दर रूपये में	कुल
1	माइक्रो प्लान की तैयारी में प्रक्रियाओं और चरणों पर प्रारंभिक व्याख्यान – 30 मिनट	250	250
2	माइक्रो प्लान तैयारी के लिए पीआरए टूल्स और तकनीकों पर व्याख्यान और पीआए टूल्स का माइक्रो प्लान हेतु व्यावहारिक व क्रियाषील अभ्यास – 1 घंटे	500	500
3	आधारभूत जानकारी संग्रह पर व्याख्यान (माइक्रो प्लान के लिए सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल, आजीविका अवसर विष्लेषण आदि विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रह) और माइक्रो प्लान हेतु आधारभूत जानकारी के संग्रह पर व्यावहारिक अभ्यास – 1 घंटे	500	500
4	सतत् ग्राम विकास परिप्रेक्ष्य में वन संरक्षण व विकास योजना पर व्याख्यान – 30 मिनट	250	250
5	विशेषज्ञ समन्वयक द्वारा परस्पर संवादात्मक सहायता से वन विकास योजना तैयार करने का अभ्यास – 45 मिनट	375	375
6	विशेषज्ञ समन्वयक द्वारा परस्पर संवादात्मक सहायता से सतत् ग्राम विकास परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने का अभ्यास – 45 मिनट	375	375
7	विशेषज्ञ समन्वयक द्वारा परस्पर संवादात्मक सहायता से वार्षिक कार्य योजना तैयार करने का अभ्यास – 45 मिनट	375	375
8	विशेषज्ञ समन्वयक द्वारा माइक्रो प्लान की तैयारी में प्रक्रियाओं और चरणों पर परस्पर संवादात्मक सहायता सेः आधारभूत सर्वेक्षण, स्थिति विष्लेषण, प्राथमिकता; तथा सूक्ष्म योजना का कार्य योजना, जिला योजना और ग्राम पंचायत योजना के साथ सहसंबंध और ड्राफ्ट माइक्रो योजना तैयार करना – 2 घंटे	1000	1000
9	प्रक्रिया ओर रिकार्ड रखने पर व्याख्यान और प्रदर्षन : • जेएफएमसी/ईडीसी स्तर पर रिकार्ड रखने की आवष्यकता और उद्देष्य। • समिति हेतु आवष्यक रिकॉर्ड्स/पुस्तकें के प्रकार। • रिकॉर्ड/किताबों में रखे जाने वाले डेटा और सूचना (वित्तीय व गैर वित्तीय) यथा कैष बुक, लेजर बुक आदि। • बैंक पे–इन स्लिप्स भरना, चेक लिखना व हस्ताक्षर करना। बैंक पासबुक को पढ़ना। • निधि प्रबंधन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्यों की भूमिका – 1 घंटे और 30 मिनट	750	750
10	सामग्री और सहायता (स्टेषनरी, ड्राइंग शीट, फ्लिप चार्ट, रंग स्केच कलम सेट (2–3 सेट)) प्रतिभागियों के लिए सामग्री पढ़ना : एकमुश्त	4500	4500
11	निर्देषित आवष्यकताएं किराए पर लेनी होगीः पावर प्वाइंट प्रेजेंटेषन, पॉइंटर (स्टिक/लेजर) के लिए मार्कर, एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ व्हाइट बोर्ड एकमुष्त	2125	2125
12	30 लोगों के लिए प्रति प्रतिभागी मानदेय रूपये @ 150/–	4500	4500
13	30 लोगों के लिए चाय, स्नैक्स, दोपहर का भोजन सहित @ 150/–	4500	4500
		20000	**20000**

कार्यक्रम के उद्देश्य एवं एजेण्डा:–

प्रतिभागी – अधिकतम 30 प्रतिभागी

- जेएफएमसी/ईडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ईडीसी संयुक्त सचिव और
- जेएफएमसी/ईडीसी की कार्यकारी समिति के सदस्य और जेएफएमसी सामान्य निकाय के 6 अन्य व्यक्तियों सहित महिलाओं के 2 प्रतिनिधि, भूमिहीन के 2 प्रतिनिधि और वन सुरक्षा कार्यान्वयन में सीधे शामिल श्रमिकों के 2 प्रतिनिधि (जेएफएमसी/ईडीसी सदस्य)

प्रशिक्षण का उद्देश्य

1. मुख्य उद्देष्य बेसलाइन डेट संग्रह, पीआए और माइक्रो योजना के लिए जंगल और समग्र विकास योजना का खाका बनाने पर प्रतिभागियों की वैचारिक समझ को बढ़ाने और सुधारना है।
2. प्रतिभागियों को जेएफएमसी/ईडीसी लेखा प्रणाली के साथ परिचित करने के लिए।
3. प्रतिभागियों को रिकॉर्ड रखने की मूल बातें समझने में मदद करने के लिए, जेएफएमसी/ईडीसी मीटिंग्स, तैयारी बिल और वाउचर के मिनटों जैसे लेखाकन आदि।

प्रशिक्षण का अपेक्षित परिणाम :

1. प्रतिभागियों को माइक्रो योजना के विभिन्न चरणों और प्रारूपों से अच्छी तरह से परिचित किया जाएगा।
2. प्रतिभागियों को गांव की विभिन्न आधारभूत जानकारी के संग्रह पर स्पष्ट समझ है।
3. प्रतिभागी पीआए टूल्स और तकनीकों का उपयोग कर विभिन्न आधारभूत जानकारी एकत्र करने में सक्षम होंगे।
4. प्रतिभागी की जेएफएमसी/ईडीसी लेखा प्रणाली और जेएफएमसी/ईडीसी मिटिंग्स, तैयारी बिल और वाउचर की मूल बातें और बजट बनाम व्यय की निगरानी पर समझ विकसित होगी।

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, का अनुमोदन प्राप्त है। समय–समय पर वित्त विभाग एवं वन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित राशि के अंतर्गत सामग्री एवं मजदूरी के लिए राशि का व्यय किया जायेगा। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

ह0/–
(एस0 एस0 बधावन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– 08 दिनांक– 01/1/19

प्रतिलिपि– :–

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
5. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
6. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/1/2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।